न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 26 / 2023
अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र विजयसिह जाति जाट निवासी 4 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायल

बनाम्

1. रमेश पुत्र बलाकी जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर ।
2. गीतादेवी पत्नी बलाकी जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
3. गोपीराम पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
4. देवीलाल पुत्र बलाकी जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
5. धनपत पुत्र बलाकी जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
6. विधादेवी पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
7. हरिसिह पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

गैरसायलान

9. नितेश कुमार पुत्र सुभाषचन्द जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर
10. माया पत्नी विजयसिह जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर
11. सुभाष पुत्र मुलचन्द नितेश कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र जाति जाट निवासी चक 4 आरपीएम तहसील नोहर।

–तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री मांगेराम गोदारा अविक्ता सायल
श्री कुलदीप खुडिया, अभिभाषक, गैरसायल

निर्णय दिनांक : 12/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक आरपीएम के खाता संख्या 73/73 की कुल 10.3230हैक भूमि सायल व तरतबी गैरसायल संख्या 9 ता 11 की मुश्तरका भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 29/29 की कुल 6.3250हैक भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 7 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 9 ता 11 की भूमि रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 73/73 की कुल 10.3230हैक में आवागमन के लिये राजस्व रिकार्ड मे कोई स्वीकृत शुद्वा रास्ता नही है इसलिये भारी परेशानी हो रही है तथा फसल काश्त करने में भारी परेशानी हो रही है।

सायल व तरतीबी गेरसायल संख्या 9 ता 11 एवं गैरसायल संख्या 1 ता 7 की भूमि चिपती हुई है इसलिये सायल अपने गांव से चलकर स्वीकृतशुद्वा रास्ता से होते हुए गेरसायल की रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 29/29 के प0न0 291/387 (35) के किला न0 21 के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व 2 बिश्वा चौडी भूमि में से होकर अपने खेत के प0न0 291/387(35) के [illegible] 22 में प्रवेश करता है और यह रास्ता सदामत से चला आ रहा है [illegible] सायल राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सायल व तरतीबी गैरसायल संख्या 9 ता 11 रास्त के बदले में अपनी खातेदारी भूमि रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 73/73 की कुल 10.3230हैक भूमि में से 2 बिश्वा भूमि जो कि गैरसायलान के चिपते हुए देने के लिये तेयार है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 29/29 के प0न0 291/387(35) के किला न0 21 के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व 2 बिश्वा चोडा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन/नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

रोही मौजा चक 7 आरपीएम के प0न0 291/387 (35) के किला न0 21 में उत्तर दिशा में जो रास्ता 2 बिश्वा चाहा गया है जो कतई गलत है प्रार्थी प0न0 291/386(46) के किला न0 11 के उतरी साईड में इनके परिवार भाई की भूमि है जिसमें से सदामत से चला आ रहा है और इसी रास्ता को स्वीकृत करवा पाने का अधिकारी है लेकिन अप्रार्थी के साथ राजनेतिक द्वेषता से व पाईप लाईन न डालने के कारण विवाद हुआ जबकि प्रार्थी सदामत से मु0न0 46 के किला न0 11 में से होकर किला न0 9 जो प्रार्थी का है जो सदामत से चालू है आवागमन करता आ रहा हें

सायल के द्वारा चाहे गये रास्ते से गैरसायल की भूमि दो टुकडों में बट जायेगी जिससे काश्त करने में परेशानी होगी प्रार्थी का चक 4 आरपीएम जो पूर्वी साईड में रह जाता है स्वीकृत शुद्वा रास्ता से आने की आवश्यकता ही नही रहेगी वर्तमान में गैरसायल ने फसल काश्त की हुई है सायल अपने परिवार भाई की भूमि जो सायल की भूमि के चिपते हुए है में से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे गैरसायल का जबाब शामिल मिसल किया गया तहसीलदार नोहर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायल व तरतीबी गैरसायल को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नही है सायल अपनी खातेदारी भूमि में गैरसायल की भूमि रोही मोजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 29/29 के प0न0 291/387(35) के किला न0 21 के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व चल कर अपने खेत के किला न0 22 मे प्रवेश कर जाता है जो सदामत से चालू है जिसे स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड मं दर्ज करने आदेश फरमावे रास्ते की भूमि के बदले में भूमि देने के लिये तेयार है

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र. मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 7 आरपीएम के प0न0 291/387 (35) के किला न0 21 में उत्तर दिशा में जो रास्ता 2 बिश्वा चाहा गया है जो कतई गलत है प्रार्थी प0न0 291/386(46) के किला न0 11 के उतरी साईड में इनके परिवार भाई की भूमि है जिसमें से सदामत से चला आ रहा है और इसी रास्ता को स्वीकृत करवा पाने का अधिकारी है लेकिन अप्रार्थी के साथ राजनेतिक द्वेषता से व पाईप लाईन न डालने के कारण विवाद हुआ जबकि प्रार्थी सदामत से मु0न0 46 के किला न0 11 में से होकर किला न0 9 जो प्रार्थी का है जो सदामत से चालू है आवागमन करता आ रहा हें

सायल के द्वारा चाहे गये रास्ते से गैरसायल की भूमि दो टुकडों में बट जायेगी जिससे काश्त करने में परेशानी होगी प्रार्थी का चक 4 आरपीएम जो पूर्वी साईड में रह जाता है स्वीकृत शुद्वा रास्ता से आने की आवश्यकता ही नही रहेगी सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता उपयुक्त नही है सायल अपने भाईयों की भूमि जो सायल की भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

चिपते हुए एव गांव /चक से चलने पर पहले आती है में से ही रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात पर मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा चक आरपीएम के खाता संख्या 73/73 की कुल 10.3230हैक्ट भूमि सायल व तरतबी गैरसायल संख्या 9 ता 11 की मुश्तरका भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा रोही मौजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 29/29 की कुल 6.3250हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 ता 7 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

सायल का कथन है कि उसे अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये स्वीकृत रास्ता नही है सायल सदामत से रोही मोजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 29/29 के प0न0 291/387(35) के किला न0 21 के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व रास्ता से आवागमन करता आ रहा है इस रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है

गैरसायल का कथन है कि सायल ने कभी भी रोही मोजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 29/29 के प0न0 291/387(35) के किला न0 21 के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व आवागमन नही किया है ना ही कभी यहा पर रास्ता रहा है सायल अपने भाईयों की भूमि मु0न0 46 के किला न0 11 में से होकर अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन करता है किन्तु परिवार भाई की भूमि होने के कारण रास्ता स्वीकृत नही करवाना चाहता है गैरसायल को नुकसान पहुचाने के लिये गैरसायल की भूमि के बीच में से रास्ता चाहा है जिससे गैरसायल की भूमि के दो टुकडे हो जाते है सायल गैरसायल की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार सायल वर्तमान में पडौसीयो से मागें हुए रास्ते से आवागमन करता है अन्य स्वीकृत रास्ता नही है

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट के अनुसार रोही मौजा चक 7 आरपीएम के मु0न0 35 के किला न0 21 में रास्ता चालू नही है ना ही सायल के द्वारा आवागमन किया जा रहा है अर्थात सायल का कथन सदामत से इसी रास्ते से आने मिथ्या है।

सायल के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कही पर भी यह कथन अंकित नही किया की वह किस प्रकार से अपनी भूमि में गांव/ घर से चल कर अपनी खातेदारी भूमि में आता जाता है।

सायल यदि उत्तर दिशा से स्वीकृत रास्ता से आता है तो वह मु0न0 35 के किला न0 1 ,2 में से होकर अपनी खातेदारी भूमि में प्रवेश कर सकता है और यदि सायल दक्षिण दिशा से स्वीकृत रास्ता से आता है तो वह मु0न0 46 के किला न0 11 से होते हुए अपने खेत के किला न0 13 में प्रवेश कर सकता है जो सायल के नजदीकी रास्ते है किन्तु सायल ने उक्त दोनो की विकल्प नही दिये है।

सायल ने रोही मोजा चक 7 आरपीएम के खाता संख्या 29/29 के प0न0 291/387(35) के किला न0 21 के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व 2 बिश्वा चोडा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है जिससे गैरसायल की भूमि दो टुकडों मे बट जाती है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने से गैरसायल की 1 बीधा भूमि का टुकडा दुसरी तरफ रह जाता है जिसे काश्त करने में गेरसायल का परेशानी हो सम्भावित है

हॉ यह सही है कि किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायो[illegible] किन्तु किसी काश्तकार को रास्ता दिये जाने की सुविधा के लिये [illegible] में से रास्ता दिया जाना है उसके हकों को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:49 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत प्रकरण मे सायल को गैरसा[illegible] की भूमि के टुकडे किये बिना भी रास्ता उपलब्ध हो सकता है सायल अपने परिवार /भाईयों की भूमि में से जहॉ से वर्तमान में

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

आवागमन कर रहा है वह भी स्वीकृत करवा सकता है अर्थात को नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता अपने भाईयो की भूमि में से प्राप्त हो सकता है तथा सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि सायल को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन करने के लिये गैरसायल की भूमि के दो टुकडे किये बिना ही नजदीकी एव सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हो सकता है सायल के द्वारा चाहे गये रास्ता स्वीकृत करने से गैरसायल का अपूर्णीय क्षति होगी एव सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता भी न्यायोचित नही है सायल ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र भी क्लीन हैण्ड से प्रस्तुत नही किया गया है सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण काबिल खारिज है।

अतः साायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:29:49 IST
Reason: SelfAttested